न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 07/2015

प्रार्थीगण	वनाम	अप्रार्थीगण
1 मोहम्मद 2 करीम 3 अलाबक्श 4 फतु 5 कुण्डा 6 अमीरा पिसरान खींहरा 7 मुबारक पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा 8 ईशाक पुत्र कमाल जाति मुसलमान निवासी रोहिली तहसील व जिला बाडमेर।		1 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर 2 अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर 3 शान्तीदेवी पत्नी देवीचन्द जाति बडेरा निवासी चौहट तहसील चौहटन 4 बरकत 5 मारूक 6 सिकन्दर पिसरान मोहम्मद 7 हवा पत्नी मोहम्मद अप्रार्थी संख्या 04 से 06 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता हवा पत्नी मोहम्मद अप्रार्थी संख्या 07 8 दिलबर 9 खैर मोहम्मद पिसरान महेन्द्रा 10 अकबर पुत्र जानी 11 अलीशेर 12 मियण पिसरान गफुर जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर 13 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री राजूराम कुमावत वकील प्रार्थीगण।
2 श्री अमृत जैन वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 16.04.2018

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चन्दाणियों की ढाणी वर्तमान गांव सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार क्षैत्र बान्दरा में स्थित मूल खसरा नम्बर 362 रकबा 288.16 बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 03 से 12 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक 2493 दिनांक 02.06.1975 के अनुसार खसरा संख्या 362 रकबा 288.16 बीघा में से सार्वजनिक विभाग को 07.12 बीघा भूमि आंवटित की गई, जिसका नामान्तकरण 571 पारित कर उक्त आंवटित 07.12 बीघा भूमि का नया खसरा संख्या 546/363 कायम किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 से 11 के मूल खसरा संख्या 545/362 में से भूमि अवाप्ति अधिकारी बाडमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक भू.अ.अ./राजस्व/बाड/2007/973 दिनांक 19.06.2007 प्रकरण संख्या 208/2006 में 08.06 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को रास्ते हेतु आंवटित की गई तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 137 पारित कर नये खसरा संख्या 672/362 रकबा 08.06 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई। अप्रार्थी सख्या 01 व 02 को रास्ते हेतु आवंटित भूमि की तरमीम भी नक्शा ट्रेस में की गई है परन्तु तरमीम मौके पर स्थित सड़क की स्थिति में भारी भिन्नता है तथा सड़क नक्शा ट्रेस मे अंकितानुसार मौके पर न होकर अन्य स्थल पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 03 से 12 की खातेदारी भूमि में निकाली गई है। इस प्रकार मौके की स्थिति एवं अभिलेख की स्थिति में भिन्नता है। उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 03 से 12 के मूल खसरा 545/362 व 362 का आपस में बंटवाडा भी कर लिया है जिससे नये खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

672/362, 547/362, 706/362, 718/362, 673/363, 731/362, 708/362, 727/362, 690/362, 728/362, 726/362, 724/362, 725/362, 688/362, 545/362, 707/362, 717/362, 716/362, 723/362, 671/362, 723/362, 689/363, 719/363, 722/362, 721/362, 720/362, 546/362 है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 03 से 12 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा उक्त नये खसरान् की तरमीम की गई है, जो सही है, परन्तु दोनों सड़कों की तरमीम व मौके की स्थिति मे भारी भिन्नता है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज भूमि खसरा संख्या 672/362 रकबा 08.06 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज भूमि खसरा संख्या 546/362 रकबा 04.12 बीघा भूमि की तरमीम मौके पर स्थित संलग्न परिशिष्ठ 'अ' अनुसार शुद्ध की जावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 से 12 द्वारा आवेदन मे अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा क्रय की गई भूमि सड़क मार्ग पर स्थित है और मौके की सही स्थिति के अनुसार ही तरमीम दुरूस्ती की जाती है तो उसे कोई आपति नही है।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 01 को आंवटित भूमि तथा सडक की तरमीम में कोई भिन्नता नही है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उन्हे जिस भूमि को नाप कर दिया गया था उसी स्थान पर कब्जा है। वादग्रस्त क्षैत्र लम्बाई में लगभग 09 किलोमीटर तक है। प्रार्थी को आवटित भूमि एवं सडक की तरमीम में दुरूस्ती की जाती है तो सम्पूर्ण सड़क पर स्थित भूमि की तरमीम दुरूस्त करनी आवश्यक होगी अन्यथा सडक की सीध की बजाय रास्ते से हटकर सडक की स्थिति बनेगी जो अनुचित है। आवेदन खारिज योग्य है।

तहसीलदार बाडमेर से मौके एवं अभिलेख की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर ने अवगत करवाया कि मूल खसरा नम्बर 362 से विभाजित होकर बने नये खसरा नम्बरों सहित की मौका जांच की गई। इस खसरे के पूर्वी दिशा में पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रेवल सडक का निर्माण किया गया था, जिसकी तरमीम निर्मित सड़क के अनुसार नक्शे में की गई, परन्तु वर्ष 2006 में आई भंयकर बाढ से डूब वाली जमीन में बनी सड़क पूर्णतया नष्ट हो गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो नई सड़क का निर्माण किया गया जो पूर्व में निर्मित सड़क से भिन्न स्थान पर किया गया। इसी खसरे के पश्चिम दिशा में ओएनजीसी द्वारा भी सड़क बनाई गई, जिसकी तरमीम नक्शे में की गई। दोनों ही सडकों का निर्माण रेकर्ड की स्थिति से भिन्न स्थान पर किया गया, परन्तु यदि वर्तमान में निर्मित सड़क तथा काश्तकारों के कब्जे काश्त वाली भूमि की तरमीम वर्तमान स्थिति के अनुसार की जाती है तो इससे किसी भी काश्तकार का अथवा ओएनजीसी का अहित नही होगा रकबे में भी किसी प्रकार का अन्तर नही आता है।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार तरमीम शुद्ध की जाती है तो इससे किसी भी पक्षकार के रकबे में कोई अन्तर नही आयेगा तथा वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार अभिलेख दुरूस्त होगा।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यदि सड़क की पूरी लम्बाई पर स्थित सम्पूर्ण भूमि के रेकर्ड की दूरूस्ती की जावे तो उन्हे भी कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौके की रिपोर्ट का भी अध्यन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्तमान में मौके पर सडक का निर्माण हो चुका है, जिसे हटाया नही जा सकता। तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के अनुसार मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार अभिलेख में शुद्धि की जाती है तो किसी भी पक्षकार का अहित नही होगा एवं अभिलेख भी दुरूस्त होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा चन्दाणियों की ढाणी वर्तमान गाव सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार क्षैत्र बान्दरा में स्थित मूल खसरा नम्बर 362 रकबा 288.16 बीघा भूमि में से खसरा नम्बर 672/362 रकबा 08.06 बीघा तथा खसरा संख्या 546/362 रकबा 07.12 बीघा भूमि में तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है। नक्शा परिशिष्ठ 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO).
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 16.04.2018 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO).
बाड़मेर

Scanned by CamScanner